न्यायालय जिला कलक्टर, झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 296/2022

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र रिछपाल सिंह,
2. गोविन्द सिंह पुत्र रिछपाल सिंह,
   जाति राजपूत, निवासी गुढागौडजी, पुलिस थाना गुढागौडजी, जिला झुन्झुनूं।

––आवेदक

बनाम

1. श्रवण सिंह पुत्र रिसाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी गुढागौडजी, पुलिस थाना गुढागौडजी, जिला झुन्झुनूं।
2. रमाकान्त पुत्र सांवरमल, जाति महाजन, निवासी गुढागौडजी, पुलिस थाना गुढागौडजी, जिला झुन्झुनूं।
3. किशनलाल पुत्र अशोक कुमार, जाति महाजन, निवासी गुढागौडजी, पुलिस थाना गुढागौडजी, जिला झुन्झुनूं राज0 हाल जयपुर राज0।
4. श्री रामसिंह राजावत वर्तमान एस0डी0एम0, उदयपुरवाटी।

–– अनावेदकगण

_ _ _

प्रार्थना पत्र मुकदमा स्थानान्तरण

_ _ _

उपस्थितः–

1. श्रीमती मीना कुमारी, अभिभाषक– आवेदकगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री अरविन्द सैनी, अभिभाषक– अनावेदक सं0 1 लगायत 3 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– अनावेदक सं0 4 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 14.11.2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 411 जा0फौ0 वास्ते ट्रांसफर करवाने मु0न0 03/2015 उनवानी सरकार बनाम नरेन्द्र सिंह वगैरह पार्टी नं0 1 आगामी तारीख पेशी 09.09.2022 एस0डी0एम0 उदयपुरवाटी। निम्नानुसार श्रीमान् की सेवामे पेश है ग्राम टोडी की सरहद मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 711, 722 मे विवादित दुकान मय छज्जा स्थत है जिस पर कदीम से निगरानीकार का कब्जा रहा है और जिसमे कपडे विक्रय करने की दुकानदारी निगरानीकार करते आये है। अप्रार्थीगण श्रवण सिंह वगैरह ने एक फर्जी लिखावट लिखकर रमाकान्त व किशनलाल [illegible] को क्रय करना बताकर अपनी होना बताया है लेकिन क्योंकि अप्रार्थीगण का ना तो कब्जा [illegible] कोई हक व अधिकार था इसलिए वह प्रार्थीगण के शोरूम पर ताकत के बल [illegible] तो उसके पुलिस थाना गुढागौडजी से मिलकर और राजनैतिक दबाव बनाकर अन्तर्गत धारा 145 जा0फौ0 परिवाद एस0डी0एम0 उदयपुरवाटी के यहां दिनांक 09.08.2015 को पेश करवा दिया जिस पर एस0डी0एम0 उदयपुरवाटी ने निम्न कार्यवाही उक्त इस्तगासे मे की:– "आज यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी पुलिस थाना गुढागौडजी ने इस आशय का पेश किया है कि ग्राम टोडी मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 711 व 722 मे एक दुकान एक छज्जा के कब्जे एवं स्वामित्व को लेकर पार्टी नं0 1 व पार्टी नं0 2 के मध्य मे विवाद है।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.21 16:09:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे थानाधिकारी गुढागौडजी का उक्त विवाद संबंधी न तो शपथ पत्र है ना ही ऐसा कोई सबूत पेश किया है जिससे यह साबित होता हो कि ग्राम टोडी के भूमि खसरा नम्बर 711 व 722 मे बनी दुकान एवं छज्जा को राजहक मे कुर्की की कार्यवाही की जा सके। अतः प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर पार्टी नं0 1 व पार्टी नं0 2 को नोटिस जारी हो पत्रावली वास्ते जबाब पार्टी नं0 1 व पार्टी नं0 2 दिनांक 31.08.2015 को पेश हो।" इसी दौरान गैरनिगरानीकार श्रवण सिंह ने जिला जज झुंझुनूं के यहां श्रवण सिंह बनाम गोविन्द सिंह वगैरह रेगुलर दावा कब्जा प्राप्त करने का कर दिया जिसका मु0न0 5/15 है जो ट्रांसफर होकर ए0डी0जे0 नं0 1 के यहां दर्ज हुआ जिसके मु0न0 47/15 है और वाद दिनांक 04.07.2019 को खारीज हो गया जिसमे गैरनिगरानीकार श्रवण सिंह का ना तो कभी कब्जे मे होना माना और ना ही उसे कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी माना और श्रवण सिंह का नियमित सूट खारीज कर दिया। प्रार्थीगण ने दिनांक 19.07.2019 को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 1 के निर्णय व डिक्री सहित एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमे एस0डी0ओ0 उदयपुरवाटी से निवेदन किया गया कि अब उक्त अन्तर्गत धारा 145 जा0फौ0 की कार्यवाही का कोई औचित्य नही है इसलिए अन्तर्गत धारा 145 जा0फौ0 की कार्यवाही ड्रेप की जावे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अभी तक किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नही किया है और बोगस परिवाद बिना आधार के पेडिंग कर रखा है जिससे प्रार्थीगण के समय व धन की बर्बादी हो रही है और अनावश्यक कार्यवाही चल रही है जिसका कोई औचित्य नही है। इस कारण मु0न0 3/2015 सरकार बनाम नरेन्द्र सिंह वगैरह अ0धारा 145 की कार्यवाही को अन्य एस0डी0एम0 के यहां ट्रांसफर की जावे जिससे वह माकूल आदेश पारित कर सके। जब सिविल कार्यवाही श्रवण सिंह बनाम गोविन्द सिंह वगैरह मु0न0 5/2015 (47/15) रेगुलर सूट था जिसमे श्रवण का ना तो कभी कब्जा माना और ना ही श्रवण सिंह को कब्जा लेने का अधिकारी माना, जब गुण–अवगुण पर सिविल न्यायालय ने जब निर्णय कर दिया तक 145 जा0फौ0 की कार्यवाही चालू रखना किसी भी रूप मे न्यायसंगत व उचित नही है। एस0डी0एम0 उदयपुवाटी, उदयपुरवाटी के विधायक व राज्यमंत्री के दबाव मे है इस कारण 8 साल बाद मे एस0एच0ओ0 से मौके की रिपोर्ट मंगाकर प्रार्थीगण की दुकान को नाजायज रूप से कुर्क करना चाहता है जबकि इस संबंध मे सिविल न्यायालय का फैसला आ चुका है। दिनांक 26.08.2022 को एस0डी0एम0 उदयुपरवाटी के न्यायालय ने एलानियां रीडर को कहा कि एस0एच0ओ0 गुढा की रिपोर्ट तुरन्त मंगवाओं। मैं इस दुकान को तुरन्त कुर्क करूंगा। प्रार्थीगण भी वहीं खडे थे। एस0डी0एम0 उदयपुरवाटी को कहा कि हमारा ए0डी0जे0 साहब के यहां फैसला हो चुका है, हम जीते हुए है, हमारी दुकान कैसे कुर्क कर सकते हो तो एस0डी0एम0 साहब ने कहा कि मेरे को नौकरी करनी है। मैं तो कुर्क करूंगा आपको जो कार्यवाही करनी हो वो करों। इस प्रकार प्रार्थीगण को एस0डी0एम0 उदयपुरवाटी के यहां न्याय मिलने की कोई संभावना नही है। न्याय किया ही नही जाना चाहिए, न्याय हुआ है, ऐसा भी महसूस होना चाहिए। इसलिए प्रार्थीगण का उक्त मुकदमा किसी अन्य एस0डी0एम0 के यहां ट्रांसफर किया जावे जिससे प्रार्थीगण के साथ न्याय हो सके। एस0डी0एम0 उदयपुरवाटी श्रीमान्जी का अधीनस्थ न्यायालय है जिस पर सुपरविजन के अधिकार श्रीमान्जी को है और एक एस0डी0एम0 के यहां से दूसरे एस0डी0एम0 के यहां ट्रांसफर करने के अधिकार भी श्रीमान् जी को है इसलिए प्रार्थी को मुकदमा दूसरे एस0डी0एम0 के यहां ट्रांसफर किया जावे जिसके लिए प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवामे पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि न्यायालय एस0डी0एम0 उदयपुरवाटी के यहां विचाराधीन मुकदमा उनवानी सरकार बनाम नरेन्द्र सिंह वगैरह पार्टी नं0 1 मु0न0 3/2015 अन्तर्गत धारा 145 जा0फौ0 को अन्य दूसरे एस0डी0एम0 के यहां ट्रांसफर किया जावे जिससे प्रार्थीगण को न्याय हो सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.21 15:09:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर एस0डी0एम0 उदयपुरवाटी से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। एस0डी0एम0 उदयपुरवाटी ने पत्रांक 975 दिनांक 29.09.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर इस आशय अवगत कराया कि बिन्दू सं0 1 मे अंकित तथ्य मनगढनत एवं निराधार है। थानाधिकारी गुढागौडजी से इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 सी0आर0पी0सी0 बाबत दोनो पक्षों मे दुकान के कब्जे को लेकर विवाद होने के कारण प्राप्त होने पर दर्ज

जिला कलक्टर झुन्झुनू

रजिस्टर किया गया और अप्रार्थीगण पार्टी नं0 1 व 2 को जबाब/साक्ष्य हेतु नोटिस जारी किये गये। दुकान के कब्जे के स्वामित्व को लेकर दोनो पक्षों मे जो विवाद है उसका गुणावगुण के आधार पर निर्धारण के लिए पार्टी नं0 1 व पार्टी नं0 2 की विधिवत् सुनवाई की जा रही है। यदि प्रार्थी उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय मे ट्रांसफर कराना चाहता तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को कोई ऐतराज/आपत्ति नही है। बिन्दू सं0 2 मे अंकित तथ्य निराधार एवं बेबुनियाद है। प्रस्तुत प्रकरण काफी पुराना है जो दिनांक 04.08.2015 का दर्ज है जिसमे विधिवत् सुनवाई जी जा रही है। बिन्दू सं0 3 मे अंकित तथ्य प्रार्थीगण स्वयं सिद्व करे। बिन्दू सं0 4 कानूनी है। इस न्यायालय मे विचाराधीन मुकदमा उनवानी सरकार बनाम नरेन्द्र सिंह वगैरह पार्टी नं0 1 मु0न0 3/2015 अन्तर्गत धारा 145 जा0फौ0 मे नियमानुसार विधिवत् सुनवाई की जा रही है। श्रीमान् द्वारा उक्त प्रकरण को अन्य किसी न्यायालय मे ट्रांसफर किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई ऐतराज/आपत्ति नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि गैरनिगरानीकार श्रवण सिंह ने जिला जज झुंझुनूं के यहां श्रवण सिंह बनाम गोविन्द सिंह वगैरह रेगुलर दावा कब्जा प्राप्त करने का कर दिया जिसका मु0न0 5/15 है जो ट्रांसफर होकर ए0डी0जे0 नं0 1 के यहां दर्ज हुआ जिसके मु0न0 47/15 है और वाद दिनांक 04.07.2019 को खारीज हो गया जिसमे गैरनिगरानीकार श्रवण सिंह का ना तो कभी कब्जे मे होना माना और ना ही उसे कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी माना और श्रवण सिंह का नियमित सूट खारीज कर दिया। प्रार्थीगण ने दिनांक 19.07.2019 को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 1 के निर्णय व डिक्री सहित एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमे एस0डी0ओ0 उदयपुरवाटी से निवेदन किया गया कि अब उक्त अन्तर्गत धारा 145 जा0फौ0 की कार्यवाही का कोई औचित्य नही है इसलिए अन्तर्गत धारा 145 जा0फौ0 की कार्यवाही ड्रेप की जावे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अभी तक किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नही किया है और बोगस परिवाद बिना आधार के पेडिंग कर रखा है जिससे प्रार्थीगण के समय व धन की बर्बादी हो रही है और अनावश्यक कार्यवाही चल रही है जिसका कोई औचित्य नही है। इस कारण मु0न0 3/2015 सरकार बनाम नरेन्द्र सिंह वगैरह अ0धारा 145 की कार्यवाही को अन्य एस0डी0एम0 के यहां ट्रांसफर की जावे जिससे वह माकूल आदेश पारित कर सके। जब सिविल कार्यवाही श्रवण सिंह बनाम गोविन्द सिंह वगैरह मु0न0 5/2015 (47/15) रेगुलर सूट था जिसमे श्रवण का ना तो कभी कब्जा माना और ना ही श्रवण सिंह को कब्जा लेने का अधिकारी माना, जब गुण–अवगुण पर सिविल न्यायालय ने जब निर्णय कर दिया तक 145 जा0फौ0 की कार्यवाही चालू रखना किसी भी रूप मे न्यायसंगत व उचित नही है। एस0डी0एम0 उदयपुवाटी, उदयपुरवाटी के विधायक व राज्यमंत्री के दबाव मे है इस कारण 8 साल बाद मे एस0एच0ओ0 से मौके की रिपोर्ट मंगाकर प्रार्थीगण की दुकान को नाजायज रूप से कुर्क करना चाहता है जबकि इस संबंध मे सिविल न्यायालय का फैसला आ चुका है। दिनांक 26.08.2022 को एस0डी0एम0 उदयुपरवाटी के न्यायालय ने एलानियां रीडर को कहा कि एस0एच0ओ0 गुढा की रिपोर्ट तुरन्त मंगवाओं। मैं इस दुकान को तुरन्त कुर्क करूंगा। प्रार्थीगण भी वहीं खडे थे। एस0डी0एम0 उदयपुरवाटी को कहा कि हमारा ए0डी0जे0 साहब के यहां फैसला हो चुका है, हम जीते हुए है, हमारी दुकान कैसे कुर्क कर सकते हो तो एस0डी0एम0 साहब ने कहा कि मेरे को नौकरी करनी है। मैं तो कुर्क करूंगा आपको जो कार्यवाही करनी हो वो करों। इस प्रकार प्रार्थीगण [illegible] के यहां न्याय मिलने की कोई संभावना नही है। न्याय किया ही नही जाना चाहिए, न्या[illegible] ऐसा भी महसूस होना चाहिए। इसलिए प्रार्थीगण का उक्त मुकदमा किसी अन्य [illegible] जिससे प्रार्थीगण के साथ न्याय हो सके। एस0डी0एम0 उदयपुरवा[illegible] श्रीमानजी का अ[illegible] न्यायालय है जिस पर सुपरविजन के अधिकार श्रीमान्जी को है और एक एस0[illegible] एस0डी0एम0 के यहां ट्रांसफर करने के अधिकार भी श्रीमान् जी को है इसलिए प्रार्थी को मुकदमा [illegible] एस0डी0एम0 के यहां ट्रांसफर किया जावे जिसके लिए प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवामे पेश है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्यायालय एस0डी0एम0 उदयपुरवाटी के यहां विचाराधीन मुकदमा उनवानी सरकार बनाम नरेन्द्र सिंह वगैरह पार्टी नं0 1 मु0न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.21 15:09:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

3/2015 अन्तर्गत धारा 145 जा0फौ0 को अन्य दूसरे एस0डी0एम0 के यहां ट्रांसफर किया जावे जिससे प्रार्थीगण के साथ न्याय हो सके।

वकील अप्राथीगण सं 1 लगायत 3 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र 4/11 मे पेश किया था। प्रकरण मे मेरीट नही देखी जानी है। प्रार्थी रिवीजन मे जा सकता है। प्रार्थी द्वारा सुनवाई मे देरी के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र मुकदमा स्थानान्तरण का पेश किया गया है। श्रीमान्जी चाहे तो अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी को समय सीमा मे निर्णय करने हेतु पाबन्द कर सकते है। अतः प्रार्थना पत्र मुकदमा स्थानान्तरण खारीज फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी सं0 4 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि एस0डी0एम0 उदयपुरवाटी द्वारा किसी प्रकार कोई भेदभाव व पक्षपात नही किया गया। एस0डी0एम0 उदयपुरवाटी का किसी राजनैतिक व पार्टी से कोई संबंध सरोकार एवं दबाव नही है। एस0डी0एम0 उदयपुरवाटी प्रकरण मे निष्पक्ष होकर न्यायसंगत एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/ दस्तावेज के आधार पर निर्णय करते है। प्रार्थना पत्र कतई बेबुनियाद, आधारहीन होने से स्वीकार नही है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य कतई गलत दर्ज किये है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर मुझे आपत्ति है। मुकदमा स्थानान्तरण के लिए ठोस कारण नही बताये गये है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने की कृपा करे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा एस0डी0एम0 उदयपुरवाटी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। वकील प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे एस0डी0एम0 उदयपुरवाटी मे विचाराधीन मुकदमा उनवानी सरकार बनाम नरेन्द्र सिंह वगैरह, मु0न0 3/2015 अन्तर्गत धारा 145 जा0फौ0 का स्थानान्तरण अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित करने हेतु कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नही बता पाये। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है साथ ही उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि वे अपने यहां लम्बित मुकदमा उनवानी सरकार बनाम नरेन्द्र सिंह वगैरह, मु0न0 3/2015 अन्तर्गत धारा 145 जा0फौ0 का निर्णय 1 माह मे आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करे। आदेश की प्रति न्यायालय एस0डी0एम0 उदयपुरवाटी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 14.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.21 15:09:48 IST
Reason: SelfAttested